भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4184
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढाने की योजना</u>

4184. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पर्यावरण पर पारंपरिक ऊर्जा के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूर्वी बिहार में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वर्ष सहित प्रत्येक वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता को बढ़ावा देने और इसमें तेजी लाने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) दिनांक 28 फरवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में कुल 530.36 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 319.44 मेगावाट सौर विद्युत, 70.70 मेगावाट लघु जल विद्युत और 140.22 मेगावाट जैव-विद्युत शामिल है। पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत, दिनांक 19.03.2025 तक बिहार राज्य में रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना से 4971 घर लाभान्वित हुए हैं।

(ग) भारत सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर, 2022 को ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 को अधिसूचित किया, जिसमें अन्य के साथ-साथ नामित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्दिष्ट करने के प्रावधान और इसका अनुपालन न करने पर कठोर दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं। इसके साथ ही अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी अधिनियम) के दायरे में लाया गया।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 20 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2024-25 से वर्ष 2029-30 तक विद्युत वितरण लाइसेंसधारी और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं या कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्दिष्ट किया है, जिसका विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

<u>अनुलग्नक-I</u>

'नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने की योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4184 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

बिहार राज्य सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण:

1. पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, वर्ष 2026-27 तक रूफटॉप सौर की स्थापना करके एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराने में मदद करेगी, जिसका कुल केन्द्रीय वित्तीय परिव्यय 75,021 करोड़ रु. होगा।
2. पीएम-कुसुम योजना, छोटे ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों, एकल सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देगी। यह योजना न केवल किसानों के लिए बल्कि राज्यों और डिस्कॉम के लिए भी फायदेमंद है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर बचत होगी और डिस्कॉम को ट्रांसमिशन और वितरण घाटे को कम करने के लिए अंतिम छोर पर सस्ती सौर ऊर्जा मिलेगी।
3. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना), जिसके तहत सरकारी उत्पादकों द्वारा 12,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) बिजली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिसमें घरेलू स्तर पर निर्मित सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा, जिसमें व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) समर्थन के साथ, स्वयं उपयोग के लिए या सरकार/सरकारी संस्थाओं द्वारा सीधे या वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के माध्यम से उपयोग किया जाएगा।
4. उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल (ट्रांश-I और II) में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर कार्यक्रम'।
5. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता स्तरीय सौर परियोजनाओं के तेजी से विकास में मदद करती है।
6. 19,744 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केन्द्र बनाना है।
7. जैव ऊर्जा कार्यक्रमः
   - अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रमः शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम
   - बायोमास कार्यक्रमः उद्योगों में ब्रिकेट और छर्रों के विनिर्माण और बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।
   - बायोगैस कार्यक्रमः परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।
8. प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए), जिसमें ऑफ ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने का प्रावधान है, जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है।

अनुलग्नक-**II**

'नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने की योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4184 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक विद्युत वितरण लाइसेंसधारी और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं या कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों की खपत के न्यूनतम हिस्से का विवरण

वर्ष	पवन	जल विद्युत	वितरित आरई (डीआरई)	अन्य अक्षय ऊर्जा	कुल
2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.35%	29.91%
2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	41.36%
2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

पवन और जल विद्युत आरपीओ का अनुपालन दिनांक 31.03.2024 के बाद स्थापित परियोजनाओं द्वारा किया जाना है। डीआरई में 10 मेगावाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं से उत्पादन शामिल होगा। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा में दिनांक 01.04.2024 से पहले चालू किए गए पवन और जल विद्युत संयंत्र शामिल होंगे। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए डीआरई घटक आधा होगा और शेष राशि अन्य नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी की जाएगी। डीआरई के अलावा, अन्य आरपीओ श्रेणियाँ एक दूसरे के लिए प्रतिमोचनीय हैं।

*****